रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 8, 1996 (ज्येष्ठ 18, 1918)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 8, 1996 (JYAISTHA 18, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई, दिनांक 18 मई 1996

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 (1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ मैसूर के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमोदन से श्री वी. पार्थसारथी को कार्यग्रहण की तिथि से 30 नवम्बर 1997 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए स्टेट बैंक आफ मैसूर के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

पी. जी. काकोडकर
अध्यक्ष

दिनांक 22 मई 1996

सं. 10/1996—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (ध) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्रीमती मंजू शुक्ला के स्थान पर श्री राजेन्द्र गोयल, 'राजश्री', अंकुर अस्पताल के पीछे, 10, वाय. एन. रोड, इन्दौर (म. प्र.) को स्टेट बैंक आफ इन्दौर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 1 जून 1996 से 31 मई 1999 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

पी. जी. काकोडकर
अध्यक्ष

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

मद्रास-600034, दिनांक 22 मई 1996

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-एस० सी० ए० (4)/7/95-96 :--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1)(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्य का नाम उसके आगे दी गई तिथि से निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण हटा दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	22511	श्री राजागोपालन पी०, ए० सी० ए० फाइनेन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर ओमान एण्ड एमिरेट्स इंवेस्टमेंटस होल्डिंग कं० (सौग) पी ओ० बाक्स 2205, पोस्टल कोड 112, रूवी, सल्तनत आफ ओमान	1-10-95

ए० के० मजूमदार,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1996

सं. यू-16/53/1/89-चि. 2 (महाराष्ट्र) संग्रह-2--कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा अमलनेर के डा. जी. वी. देशमाने को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 1-1-1996 से 31-12-1996 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने की तिथि तक, इसमें से जो पहले हो तो उप चिकित्सा आयुक्त (पश्चिमी क्षेत्र) मुम्बई द्वारा निर्धारित अमलनेर केन्द्र जलगांव के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं)।

एस. के. शर्मा
महानिदेशक

दिनांक 15 मई 1996

सं. यू-16/53/95-चि. 2 (महा)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम, 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा डा. (श्रीमती) कमला भटनागर, अंशकालिक चिकित्सा निदेशी, कुरला केन्द्र मुम्बई को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 1-7-1996 से 30-6-1997 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्य ग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (पश्चिम जोन) द्वारा निर्धारित कुरला क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

एस. के. शर्मा
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 1996

सं. एन. 15/13/16/3/93-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-6-1996 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे। अर्थात :--

"जिला फरीदाबाद के राजस्व ग्राम अलाहपुर (पलवल) हदबस्त संख्या-66 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र"।

अरूणा वां खड़गी
निदेशक (यो. एवं वि.)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुम्बई-400020 दिनांक 16 मई 1996

सं० यू० टी०/डी० बी० डी० एम/एस० पी० डी० 72डी/95-96:--दिनांक 17 फरवरी 1996 के भारत सरकार के राजपत्र (भाग III खण्ड 4) में पृष्ठ सं० 2761 से 2764 तक प्रकाशित दिनांक 30 जनवरी 1996 के शुद्धि पत्र संख्या यू०टी०/डी० बी० डी० एम०/655 ए०/एस० पी० डी० 71 (आई)/95-96 में निम्नलिखित सुधार करें :—

शुद्धि पत्र

मासिक आय प्लान 1995 (II) पेशकश दस्तावेज

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तंभ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2762	4	14	10 वीं पंक्ति में 88 के बाद "को '80'" शामिल करें।
2.	2763	4	72	28वीं पंक्ति में शब्द 'प्रत्येक' (प्रथम) को 'एयेक' पढ़िये।
3.	2764	4	113	29 वीं पंक्ति में अंक 43199.30 को 43199.38 से सुधारें।

ए० जी० जोशी
महाप्रबन्धक
(व्यवसाय विकास और विपणन विभाग)

सं० यू० टी०/डी० बी०/डी० एम० एस० पी० डी०–89/95–96:—दिनांक 17 फरवरी 1996 के भारत सरकार के राजपत्र (भाग III-खण्ड 4) में पृष्ठ सं० 2765 से 2767 तक प्रकाशित दिनांक 30 जनवरी 1996 के शुद्धि पत्र संख्या यू० टी०/डी० बी० डी० एम/655 बी०/एस० पी० डी० 71 डी/95-96 में निम्नलिखित सुधार करें।

शुद्धि पत्र

डेफर्ड आय प्लान 1995 पेशकश दस्तावेज

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2765	4	2	10 वीं पंक्ति में शब्द 'यूनिट' (प्रथम) को 'यनिट' पढ़िये।

ए० जी० जोशी,
महाप्रबन्धक
(व्यवसाय विकास और विपणन विभाग)

सं० यू० टी०/डी० बी० डी० एम०/एस० पी० डी० 89/95–96:—दिनांक 17 फरवरी 1996 के भारत सरकार के राजपत्र (भाग III–खण्ड 4) में पृष्ठ सं० 2767 से 2768 तक प्रकाशित दिनांक 30 जनवरी 1996 के शुद्धि पत्र संख्या यू० टी०/डी० बी० डी० एम०/655 सी०/एस० पी० डी० 89/95–96 में निम्नलिखित सुधार करें :—

शुद्धि पत्र

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 पेशकश दस्तावेज (आई० आई० एस०एफ० यू० एस० 1995)

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2767	4	3	12 वीं पंक्ति में शब्द 'की' को 'को' से सुधारें।

ए० जी० जोशी,
महाप्रबन्धक
(व्यवसाय विकास और विपणन विभाग)

भारतीय विधिज्ञ परिषद्, नई दिल्ली

(भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा 4/5 नवम्बर, 1995 को हुई अपनी बैठक में संकल्प सं. 128/1995 द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण नियम)

भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 (3) (घ) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम :—

1. राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए, इन नियमों का नाम 'भारतीय विधिज्ञ परिषद् प्रशिक्षण नियम, 1995' है जो 2-4-1996 से प्रवृत्त होंगे ।

2. कोई ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अधीन इस रूप में नामांकित किए जाने के लिए पात्र नहीं है और उसने इन नियमों के अधीन विहित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लिया है ।

3 (1) अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए सम्यक्तः अर्हित अभ्यर्थी को नामांकन के लिए विहित फीस का संदाय करने के पश्चात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अधीन यथाविहित नामांकन के लिए आवेदन फाइल करना होगा और उक्त अभ्यर्थी को नामांकन फीस के अलावा प्रशिक्षण करने के लिए विहित प्ररूप में राज्य विधिज्ञ परिषद् के पक्ष में 150/- रुपए (केवल एक सौ पचास रुपए) और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पक्ष में 50/- रुपए (केवल पचास रुपए) के बैंक ड्राफ्ट और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज जो अधिवक्ता अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित की गई हों, जमा कराना होगा ।

(2) नामांकन के लिए अपेक्षित जानकारी के अलावा, प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट अक्षरों में दी जाएंगी :—

(क) नाम

(ख) पिता का नाम

(ग) जन्म की तारीख

(घ) राष्ट्रीयता

(ङ) स्नातक की उपाधि (डिग्री) या 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो और विधि की उपाधि ।

(च) विधि में उपाधि का परिणाम घोषित होने की तारीख

(छ) जिस मार्गदर्शक के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करना है उसका नाम, पता और नामांकन संख्यांक ।

टिप्पण :—नामांकन के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के अलावा, प्रशिक्षण के लिए आवेदन के साथ स्नातक-उपाधि या 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो और विधि में उपाधि की फोटो प्रतियां और यदि विधि में उपाधि प्रदान नहीं की गई है तो तृतीय वर्ष की अंक तालिका की फोटोस्टेट प्रति और अनंतिम प्रमाणपत्र (प्रोवीजनल सर्टिफिकेट) संलग्न किए जाएंगे ।

4. प्रशिक्षण की अवधि मार्ग-दर्शक के इस प्रमाणपत्र की तारीख से प्रारम्भ होगी कि अभ्यर्थी ने उससे प्रशिक्षण लेना आरम्भ कर दिया है, किन्तु ऐसी तारीख राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मार्गदर्शक के नाम के अनुमोदन की तारीख के पश्चात् की तारीख होगी और राज्य विधिज्ञ परिषद् ऐसा अनुमोदन प्रशिक्षण के लिए नामांकन के लिए अभ्यर्थी के नाम का रजिस्ट्रीकरण हो जाने के पश्चात् ही करेगी ।

5. बार में 15 वर्ष से विधि-व्यवसाय कर रहा कोई अधिवक्ता या ऐसा पदाभिहित ज्येष्ठ अधिवक्ता जो विधि द्वारा स्थापित किसी न्यायालय में निरन्तर विधि-व्यवसाय करने में लगा हुआ है, प्रशिक्षण देने के लिए पात्र होगा और उसे 'मार्गदर्शक' कहा जाएगा और उस मार्गदर्शक के नाम का अनुमोदन राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया जाएगा । मार्गदर्शक को अपना नाम अनुमोदित किए जाने के पूर्व, अपनी लिखित सहमति देनी होगी ।

6. कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे मार्गदर्शक से जिसके पास प्रशिक्षण प्रारम्भ करते समय दो से अधिक अभ्यर्थी हैं, राज्य विधिज्ञ परिषद् की लिखित रूप में पूर्व अनुज्ञा के बिना, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी एक ही मार्गदर्शक के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा किन्तु यदि एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही मार्गदर्शक की मृत्यु हो जाती है या वह विधि-व्यवसाय में नहीं रहता है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी किसी ऐसे अन्य मार्गदर्शक से जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद् ने अनुमोदित कर दिया हो, नए सिरे से शेष अवधि के लिए दूसरे नए सिरे से प्रशिक्षण प्राप्त करेगा । राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा मार्गदर्शक के नाम का अनुमोदन अभ्यर्थी द्वारा लिखित सूचना दी जाने पर, किया जाएगा ।

8. प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, अभ्यर्थी मार्गदर्शक के चैम्बर्स या कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, मामले के कागज पत्रों, पत्राचारों का अध्ययन करेगा, अभिवाक् तैयार करेगा, न्यायालयों में उपस्थित होगा और विशेष रूप से, न्यायालयों में कार्य प्रणाली से परिचित होने की दृष्टि से मामलों का अध्ययन करेगा तथा किसी कलैंडर वर्ष में कम से कम 225 दिन की उपस्थिति सफल प्रशिक्षण पूरा करने की एक पूर्वापेक्षा शर्त होगी ।

9. (क) प्रत्येक अभ्यर्थी राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रारूप में दो डायरियां रखेगा । एक डायरी चैम्बर्स में किए गए कार्य के लिए और दूसरी डायरी न्यायालयों में किए गए कार्यों के लिए होगी । चैम्बर वाली डायरी में अभ्यर्थी द्वारा मार्गदर्शक के चैम्बर्स में प्रतिदिन किए गए कार्य का अभिलेख होगा जिसमें पढ़े गए मामलों के तथ्यों, वाद-पत्रों, लिखित कथनों, शपथपत्रों, अपील या पुनरीक्षण आदि के आधार और अन्य विषयों में की गई कार्रवाई संक्षेप में दी जाएगी । न्यायालय वाली डायरी में तारीख, जिन मामलों में उपस्थित हुए उनकी संख्या, तर्क, उद्धृत की गई विधियां और परिणाम दिए जाएंगे ।

अभ्यर्थी अपनी प्रत्येक डायरी के प्रथम पृष्ठ पर अपना नाम, क्रम संख्यांक, मार्गदर्शक का नाम, प्रशिक्षण का स्थान और प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तारीख लिखेगा । अभ्यर्थी चैम्बर्स डायरी के द्वितीय पृष्ठ पर चैम्बर्स या न्यायालय से अनुपस्थित होने की तारीख, इसमें आगे (वर्णित) नियमों में निर्दिष्ट विवरणों के भेजे जाने की तारीखें और उसके प्रशिक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टियां भी अलग से नोट करेगा ।

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मास की 5 और 20 तारीख को या उसके पूर्व मास में कम से कम दो बार अपनी चैम्बर्स और न्यायालय की डायरियां संवीक्षा के लिए, मार्गदर्शक को प्रस्तुत करेगा और चैम्बर्स तथा न्यायालय डायरियों में उसके हस्ताक्षर, तारीख सहित, अभिप्राप्त करेगा ।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा रखी जाने वाली डायरी प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् उसके द्वारा और मार्गदर्शक द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षर करके राज्य विधिज्ञ परिषद् को भेजी जाएगी । डायरी की संवीक्षा राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामांकन समिति करेगी और यदि विधिज्ञ परिषद् की नामांकन समिति का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी ने नियमों के अनुपालन में पूरा और समुचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो राज्य विधिज्ञ परिषद् प्रशिक्षण की अवधि उतनी बढ़ा सकेगी जितनी वह विधिक वृत्ति (विधि-व्यवसाय) के हित में आवश्यक समझे ।

किन्तु उपरोक्त अवधि के दौरान जब न्यायालय जहां मार्गदर्शक विधि-व्यवसाय कर रहा है, ग्रीष्म अवकाश या अन्य अवकाश के कारण बंद हो जाते हैं, तब ऐसे अवकाश से एक सप्ताह पूर्व और न्यायालयों के पुनः खुलने के एक सप्ताह के अन्दर डायरियों में मार्गदर्शक के हस्ताक्षर प्राप्त करना पर्याप्त होगा किन्तु किसी भी स्थिति में स्पष्टतः 225 दिनों के प्रशिक्षण की सख्ती से लागू किया जाना चाहिए । इतने दिन इन तथ्यों को ध्यान में रहते हुए नियत किए गए हैं कि न्यायालय भिन्न-भिन्न अवकाशों में बंद हो जाते हैं और इसलिए प्रशिक्षण के लिए दिनों की संख्या घटा कर केवल 225 दिन रखी गई है ।

10. कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण लेने के दौरान स्वयं को किसी रोजगार, वृत्ति, कारबार, व्यापार या आजीविका में किसी भी रीति से नियोजित नहीं करेगा ।

11. मार्गदर्शक जिससे अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, प्रशिक्षण में अभ्यर्थी के उपस्थित न होने के बारे में विधिज्ञ परिषद् को लिखित रूप में सूचित करेगा ।

12. राज्य विधिज्ञ परिषद् का सचिव एक पृथक् रजिस्टर रखेगा जिसमें वह विधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम, उनके पते और संबंधित मार्गदर्शक का नाम और पता, सूचना और अनुमोदन की तारीख और वह तारीख जिससे वास्तव में प्रशिक्षण लेना आरम्भ हुआ, दर्ज करेगा ।

13. राज्य विधिज्ञ परिषद् राज्य में उपयुक्त स्थानों पर व्यवसाय संबंधी नैतिक आचरण और अन्य विषयों पर अपने सदस्यों, विधिवेत्ताओं, विधि क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषणों की भी व्यवस्था करेगी और इन भाषणों में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति को प्रशिक्षण का भाग रूप माना जाएगा और यह अनिवार्य होगा । उसके अपवाद के लिए विशेष कारण दर्शित करना होगा ।

14. इन प्रशिक्षण नियमों की स्कीम अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जो इसके पूर्व न्यायिक अधिकारियों के रूप में कार्यरत थे ।

15. किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् का इन नियमों के अधीन कोई विनिश्चय भारतीय विधिज्ञ परिषद् के समक्ष अपील के अध्यधीन होगा ।

सी. एम. बालारमन
सचिव
भारतीय विधिक परिषद्

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 18th May 1996

NOTICE

In terms of Section 29(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Mysore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri V. Parthasarathi as Managing Director of State Bank of Mysore w.e.f. the date he assumes charge to 30th November 1997 (both days inclusive).

P. G. KAKODKAR
Chairman

The 22nd May 1996

No. 10/1996.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of subsection (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 the State Bank of India, has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Shri Rajendra Goyal, 'Rajshree', Behind Ankur Hospital 10, Y. N. Road, Indore (M.P.), as a director on the Board of Directors of State Bank of Indore for a period of three years with effect from 1st June 1996 to 31st May 1999 (both days inclusive) in place of Smt. Manju Shukla.

P. G. KAKODKAR
Chairman.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600 034, the 22nd May 1996

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(4)/7/95-96.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (c) Sub-Section (1) of the Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of non payment of prescribed fees with effect from the date mentniond against his name, the name of the person is given below :—

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	22511	Mr. Rajagopalan P., ACA Finance & Administration Manager Oman & Emitrates Investment Holding Co. (SAOG) P. O. Box 2205 Postal Code 112 Ruwi Sultanate of Oman	1-10 1995

A. K. MAJUMDAR,
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th May 1996

No. U-16/54/1/89-Med.II(Mah) Col.II.—In pursuance of Resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, I hereby authorise Dr. G. V. Dashmane to function as medical authority w.e.f. 1-1-96 to 31-12-96 or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Amalner Centre Distt. Jalgaon for areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (West Zone) Mumbai at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates in doubt.

S. K. SHARMA
Direcor General.

The 15th May 1996

No. U-16/53/95-Med.II(Mah.).—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulatoins 1950, I hereby extend the services of Dr. Mrs. Kamla Bhatnagar, P.T.M.R., Kurla centre, Mumbai to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 1-7-96 to 30-6-97 for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Kurla centre, for areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (West Zone) Mumbai for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates in in doubt.

S. K. SHARMA
Direcor General.

New Delhi, the 24th May 1996

No. N-15/13/16/3/93-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insuracne (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-1996 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :—

"The areas falling within the limits of revenue Village Jalahpur(Palwal) Had Bast No. 66 of Faridabad District".

A. W. KHADGI
Director (P&D)

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai-4000020, the 16th May, 1996

CORRIGENDUM

No. UT/DBDM/SPD-72D/95-96. The following correction in our Notification No UT/DBDM/655-B/SPD-72-D/95-96 dated 30th January, 1996 on Page Nos. 2791 & 2792 in the Gazette of India (Part III—Sec. 4) dated 17th February, 1996.

Sr. No.	Page No.	Corrections
		DEFERRED INCOME UNIT PLAN 1995
1.	2791	In the 1st line "95-94" should be Corrected as "95-96"
2.	2791	"Unit Trust in India" appearing in the 1st line of Sr. No. 1 should be corrected as "Unit Trust of India".
3.	2792	"The" appearing at the beginning of [st line of Sr. No.11 should be replaced with "In the".
4.	2792	The Page No. "2460" appearing against Sr. No. 16 should be corrected as "2465"
5.	2792	"A" appearing under Column No. 3 against Sr. No. 18 should be corrected as "2". The word ('TCEI appearing in the 5th Column should be corrected as) 'TCEI'.
6.	2792	The Tel. No. "2068488" appearing in the 3rd line of 5th Column against Sr. No. 25 should be corrected as "2068468".

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

No. UT/DBDM/SPD-89/95-96—The following corrections in our Notification No. UT/DBDM/655-C/SPD-89/95-96 dated 30th January, 1996 on Page Nos 2792 & 2793 in the Gazette of India (Part III—Sec. 4) dated 17th February, 1996

Sr. No.	Page No.	Corrections
		INSTITUTIONAL INVESTORS' SPECIAL FUND UNIT SCHEME 1995
1.	2793	The Page No. "2525" appearing against Sr. No. 9 should be corrected as "2475".
2.	2793	The Page No "2575" appearing against Sr. No 10 should be corrected as "2475"
3.	2793	The Sub-clause No. "XXX(f) (i)" appearing against Sr. No. 15 should be replaced with "XXXI (f) (i)".

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

THE BAR COUNCIL OF INDIA

TRAINING RULES 1995

(Training Rules framed by the Bar Council of India at its meeting held on 4th/5th November 1995 and adopted vide Resolution No. 128, 1995)

RULES MADE BY THE BAR COUNCIL OF INDIA IN EXERCISE OF ITS RULE MAKING POWERS UNDER SECTION 24(3) (d) OF THE ADVOCATES ACT, 1961.

1. These Rules may be called 'Bar Council of India Training Rules 1995 for enrolment as an advocate on the roll of a State Bar Council which shall come into effect on 2-4-1996.

2. No person shall be entitled to be enrolled as an advocate unless he is eligible to be enrolled as such under Section 24 of the Advocates Act, 1961 and has undergone training as prescribed under these rules.

3. (1) A duly qualified candidate to be enrolled as an advocate shall have to file application for enrolment as prescribed under Section 23 of the Advocates Act 1961 after payment of prescribed fee for enrolment and the said candidate shall have to deposite a Bank Draft of Rs. 150/- (Rupees one hundred and fifty only) in favour of state Bar Council and Rs. 50/- (Rupees fifty only) in favour of Bar Council of India in addition to enrolment fee for imparting training in prescribed form with all relevant document as has been prescribed under the Advocates Act and Rules made thereunder.

The following particulars in capital letters shall be supplied by the candidates applying for training in addition to information required for enrolment.

(a) Name

(b) Father's name

(c) Date of birth

(d) Nationality

(e) Details of degree of graduation or certificate of having passed 10+2 examination whichever is applicable and degree of law.

(f) Date of declaration of result of degree in law.

(g) Name, address and enrolment number of the guide under whome he has to receive training.

NOTE : Photostat copies of the Bachelor's degree of certificate of passing the 10+2 examination, whichever is applicable and degree in law and in case the degree in law has not been awarded then a photostat copy of the third year marks sheet and provisional certificate shall be enclosed with the application for training in addition to documents required for enrolment.

4. The period of training shall commence from the date of certificate of the guide that the candidate has started training with him but such date shall be after date of approval of the name of the guide by the State Bar Council which approval the state Bar council shall grant after registration of name of candidate for enrolment for training.

5. An advocate having 15 years of practice at Bar or designated Sr. Advocate, who is in continuous active practice in a Court established by law shall be eligible to impart training and be called "guide" and name of guide shall be approved by the State Bar Council. The guide shall have to give his written consent before he would be approved as a guide.

6. No candidate shall receive training with a guide, who has at the time of commencement of receiving training, more than two other candidates, except with the previous permission in writing of the State Bar Council.

7. Every candidate shall be bound to receive training for the period of one year under the same guide except where the guide has died before the expiry of the period of one year or has ceased to practice, in which case the candidate shall receive training for the residue of the period with another

guide whose name has been approved by the State Bar Council afresh. The name of the second guide shall be approved by the State Bar Council on a written intimation by the candidate.

8. During the period of training the candidate shall regularly attend the chamber or office of the guide, study case papers correspondence, draft pleadings, attend courts and in particulars study cases with a view to get acquainted with the practice in courts minimum attendance for 225 days in a calender year shall be a condition precedent for the completion of sucessful training.

9. (a) Every caddiate shall maintain two diaries in the form approved by the State Bar Council. One for work done in chambers and the other for work in Courts. The chamber diary shall contain a day to day record of the work done by the candidate in the guide's chambers giving briefly the facts of the case, studies of plaints, written statements, affidavits, grounds of appeal or revision etc. read and other matters looked into. The Court diary shall contain the date, the number of the cases attended. the arguments, the case law cited and the result.

The candidate shall write out on the first page of each of his diaries, his name, serial number, the name of the guide, the place of training and the date of commencement of the training. The candidate shall also note separately in the second page of the chambers diary, the date of absence from chambers or court the dates of despatch of the statements referred to in the Rules hereunder and other important particulars connected with his training.

(b) Every candidate shall submit his court's and chamber's diaries to the guide for scrutiny atleast twice a month on or before the 5th and 20th of each month and obtain his signature with the dates in the chambers and Court's diaries.

(c) The diary maintained by the candidate duly signed by him and the guide after the completion of the training be sent to the State Bar Council which shall be scrutinised by enrolment Committee of the State Bar Council and in case the enrolment Committee of the Bar Council is satisfied that the candidate has not undergone full and proper training in compliance with the rules, the State Bar Council may extend the period of training as it may deem fit in the interest of legal profession.

During the priod, however, when the Courts where the guide is practising are closed for summer recess or other recess, it shall be sufficient if the signatures of the guide are obtained in the diaries a week before such recess and again a week after the reopening, but 225 clear days training in any case shall be strictly made applicable. The number of days has been fixed considering the facts that courts are closed in different vacations and thus the number of days for training has been reduced to 225 days only.

10. No candidates shall engage himself in any employment, profession, business, trade or calling during the course of training in any manner.

11. A guide from whom the candidate would receive training shall intimate to the Bar Council in writing the non-attendance of a candidate in training.

12. The Secretary of the State Bar Council shall maintain a separate register in which he shall enter the names of the candidates undergoing training in law with his address and the name and address of the guide concerned, the date of the intimation and approval and the date of the actual commencement of receiving training.

13. The State Bar Council may provide for lectures to be delivered by its members, legal luminaries, jurists on professional ethics and other topics at suitable places in the State and the atendance of trainees in such lectures be deemed to be a part of the training and shall be compulsory exception special cause to be shown.

14. The scheme of these training rules would not be applicable to the persons applying for registration as an advocate who were earlier working as Judicial Officers.

15. That any decision of a State Bar Council under these rules shall be subject to appeal before the Bar Council of India.

C. M. BALARAMAN
Secretary
The Bar Council of India

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.